


**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,  
फायर विंग्रेड कैम्पस लोदीपुर, पटना।  
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना**

1	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2	परिमाण विपत्र विकी का अंतिम तिथि और समय	04.07.2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक।
3	निविदा प्राप्ति की तिथि और समय	05.07.2017 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4	निविदा खुलने की तिथि और समय	05.07.2017 को 03:30 बजे अपराह्न।
5	परिमाण विपत्र विकी का स्थान एवं कार्यालय	(क) अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंचल पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। (ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। (ग) सम्बंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल से-1 पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। क्रमांक 5 के अनुसार।
6	निविदा प्राप्ति का स्थान / कार्यालय	
7	कार्य का विवरण -	

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अवधन की राशि (₹ में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹ में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आवस्था
1	Repairing of Inner Road of District Guest House Patna for the year 2016-17.	₹842.261 /-	₹16900 /-	₹1250 /-	7 दिन	अनारक्षित

**विशेष सूचनाएँ :**

- पथ निर्माण विभाग के समुचित बंगी में निबंधित अखतन नवीनीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
- कार्य के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अवधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र, निविदा प्रकाशित में अंकित प्राक्कलित राशि, अवधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आवस्था कोटि ही अंतिम और मान्य होगा।
- निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।  
(क) एक कम्पोज एवं लॉटर की शिफ्ट में जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पदनाम से प्लेज होना चाहिए।  
(ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट / राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी डाकघर का ऊप किया हुआ होना चाहिए जिसकी वैधता कार्य अवधि तथा डिपॉजिट लायबिलिटी की अवधि का कभर करता हो।  
(ग) अपने रेजिस्ट्रेशन का पूर्ण खीरा जैसे एक्टिवगत, संयुक्त प्रो लि. संख्या आदि।  
(घ) अखतन आवक प्रमाण पत्र, बैंक नम्बर, सेल टैक्स जमा वृहता पत्र, लेबर लाईसेंस आदि।  
(ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुभव प्राप्त संवेदकों का प्राथमिकता दी जायेगी।
- निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत में अधिक रूप या परिमाण विपत्र पर करने हेतु अधिक करना होगा।
- निविदा से संबंधित कार्य के लिए समुचित बंगी के संवेदक की विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं उपकरण की भांदा दर के मुताबिक निवेदक निवेदा में भाग ले सकते हैं। कार्य सम्पादन के समय जल मशीनरी एवं प्लाट का अखतन विभागीय दर (अधिक प्रमंडल के विपत्र पर अजायब) के अनुसार हायर करने की कटौती संवेदक के विपत्र में किया जायेगा।
- सर्वान् निविदा अमान्य होगा। साथ ही बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को रद्द करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
- परिमाण विपत्र आवेदन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अखतन निबंधन प्रमाण-पत्र अखतन आवक एवं विकी कर सहाय प्रमाण-पत्र अखतन विकी कर निबंधन प्रमाण-पत्र एवं लेबर लाईसेंस एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रायित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, पटना में भुगतान हो।
- आवेदन की प्रत्यागा में निविदाएं अस्पष्टित की जा रही है। विभाग में आवेदन की उपलब्धता के अलावा पर ही प्राथमिकता के अनुकूल संवेदकों से कार्य कराया जायेगा और क्राय गये कार्य का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- सकल संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अवर एककरण नहीं किया जाता है तो निविदा के साथ संलग्न अवधन की राशि जमा कर ली जायेगी।
- एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता निविदा प्राप्ति के अंदर कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अवधन की राशि जमा कर ली जायेगी एवं पुनः निविदा की शिफ्ट में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर ले। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ है वैसी है, के अलावा पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिये बाध्य होंगे।
- कार्य समय बृद्धि नहीं दी जायेगी, यह वाक्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर संतोषप्रद ढंग से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निकलन कारीकृत कर दी जायेगी।
- निर्धारित तिथि को सरकारी घुट्टी घोषित होने की शिफ्ट में परिमाण विपत्र विकी या निविदा की शिफ्ट अगले दिन किया जायेगा।
- विस्तृत जानकारी के लिये अग्रहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य-दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
- विभागीय संकेत सह पठित शाखांक 5937(एम) दिनांक 01.07.2015 के आलेख में पत्रांक 459 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार जल कार्य का आवस्था अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 793 अनु दिनांक 03.06.2015 के अनुसार निर्धारित है।

  
 कार्यपालक अभियंता  
 नई राजधानी पथ प्रमंडल  
 पथ निर्माण विभाग, पटना।  
 19/6/17  
 19-6-17